न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 796/दावा/2016
दायरा दि0 27/07/2016

उनवान

देवीलाल पुत्र गेंदा जाति बैरवा(चमार) निवासी महुआखेड़ा हाल निवास कोटा
— वादी

बनाम्

1. छीतरलाल पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा(चमार) निवासी महुआखेड़ा हाल मुकाम केशर बस्ती अनन्तपुरा कोटा
2. बिरधीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नि रोडूलाल जाति बैरवा(चमार) निवासी गादियाजेमल पोस्ट अरनिया तह0 अकलेरा जिला झालावाड़
3. निहालबाई पुत्री भंवरलाल पत्नि घनश्याम जाति बैरवा(चमार) निवासी बरेड़ी पोस्ट लावासल तह0 असनावर जिला झालावाड़
4. जगदीश पुत्र गेंदा जाति बैरवा(चमार)निवासी खेड़ारसूलपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी
श्री अनिल मेहता अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 19/03/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम महुआखेड़ा में जमावंदी सं0 2070–73 पर खाता सं0 53 की ख0नं0 183 की 3.03 बीघा आराजी स्थित है। यह आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। वादी के पिता गेंदा के तीन लड़के देवीलाल, भंवरलाल, जगदीश हैं। भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है, उसके वारीसान प्रति0 1 लगा0 3 हैं। वादग्रस्त आराजी का वादी के पिता गेंदा ने अपने जीवनकाल में ही विभाजन कर कब्जा तीनों भाईयों को संम्भला दिया था तब से ही वादी अपने 1/3 हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। वादी गेंदा का वारिस होने एवं आराजी पर 30 वर्षों से काबिज काश्त चले आने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिकी किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुये इकवालिया जवाबदावा पेश किया गया। साथ ही पक्षकारान ने जर्ये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया " वादी व प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा कर लिया है। राजीनामा निम्नप्रकार है ग्राम महुआखेड़ा की आराजी ख.नं. 183 रकबा 3.03 बीघा आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। गेन्दा जी के तीन लड़के देवीलाल भंवरलाल जगदीश है। लेकिन इंतकाल सिर्फ भंवरलाल व जगदीश के नाम तस्दीक हुआ और देवीलाल का नाम छूट गया। उक्त आराजी में वादी देवीलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे, प्रतिवादी 1, 2, 3 छीतरलाल, बिरधीबाई, निहालबाई पिसरान भंवरलाल का भी 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी नं. 4

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

जगदीश का भी 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। यह राजीनामा वादी व प्रतिवादीगण ने राजी खुशी व बिना दाव दबाव के कर लिया है। जिससे वादी व प्रतिवादीगण सहमत हैं " पक्षकारान द्वारा राजीनामे को सही एवं सत्य होना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम महुआखेड़ा की आराजी ख.नं. 183 रकबा 3.03 बीघा आराजी गेंदा के खाते व कब्जे काश्त की थी। वादी गेंदा का लड़का है किन्तु फौती इंतकाल में वादी देवीलाल का नाम छूट गया है। प्रतिवादीगण ने हमारे वाद को स्वीकार करते हुये इकयालिया जवाबदावा व राजीनामा पेश किया है। हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा डिक्री किया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि देवीलाल, खातेदार गेंदा का पुत्र है, सहवन से इनका नाम खाते में जुड़ने से छूट गया है। यादग्रस्त आराजी में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने राजीनामा पेश कर दिया है, जिसके अनुसार वाद का निर्णित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। वादी ने ग्राम महुआखेड़ा की जमाबंदी सं0 2070–73 खाता सं0 53 की ख0नं0 183 रकबा 3.03 बीघा आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का यह वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाबदावा से वादी, गेंदा का पुत्र होना साबित है। साथ ही पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया है जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। इस राजीनामें में प्रतिवादीगण ने वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की सहमति दी है। ऐसे में लोक अदालत की भावना को देखते हुये न्यायहित में इस वाद का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया जाना उचित है।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा वादी को ग्राम महुआखेड़ा की जमाबंदी सं0 2070–73 की खाता सं0 53 की ख0नं0 183 रकबा 3.03 बीघा आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खाते में रहन का अंकन यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 19/03/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner